न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 91/2023 अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट
बलराम पुत्र सहीराम जाति कुम्हार निवासी चक 3 आरडब्ल्यूएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थी

बनाम

1. नत्थुराम पुत्र सहीराम जाति कुम्हार निवासी चक 6 केडब्ल्यूडी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. रामस्वरूप पुत्र सहीराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 23 पुराना रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. रामनिवास पुत्र सहीराम जाति कुम्हार निवासी चक 3 आरडब्ल्यूएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–अप्रार्थीगण

उपस्थितः– श्री विनोदकुमार स्वामी वकील–प्रार्थी
श्री अशोक भादू, रविकुमार वकील–अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक– 30.04.2025

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 04.08.2023 को विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जरिये वकील पेश किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता सहीराम पुत्र दलसुखराम के नाम से चक 3 आरडब्ल्यूएम के खाता सं. 116/105 के पत्थर नम्बर 192/24 (49) के किला नम्बर 16 ता 25 की 2.5300 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि दर्ज चली आ रही हैं। प्रार्थी के पिता सहीराम ने अपने जीवनकाल में अपनी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में बहिस्सा बराबर का वसीयतनामा दिनांक 19.03.2012 को तहरीर करवाकर व उपपंजीयक रावतसर से पंजीकृत करवाया था। उसी अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 काबिज चले आ रहे है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास दिनांक 07.12.2020 को हो चुका हैं। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के पिता स्वर्गीय सहीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं। उक्त कृषि भूमि की वसीयत प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में स्वर्गीय सहीराम जी द्वारा निष्पादित की गई हैं तथा उसी अनुसार उक्त कृषि भूमि के अपने अपने हिस्सा पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 काबिज चले आ रहे है तथा फसल काश्त कर रखी हैं। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 लालची किस्म के व्यक्ति है जो उक्त कृषि भूमि को कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर उक्त कृषि भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल करने पर उतारू हैं। इस कारण प्रार्थी अपने हक व हिस्सा घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी हैं। प्रार्थी इस आशय की घोषणा करवाने का अधिकारी है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 चक नम्बर 3 आर.डब्ल्यु.एम. के खाता संख्या 116/105 के पत्थर नम्बर 192/24 (49) के किला नम्बर 16 ता 25 की 2.5300 कमाण्ड कृषि भूमि के वसीयनामा दिनांक 19.03.2012 के अनुसार बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक 1/4 हिस्सा के खातेदार कास्तकार हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को कई बार निवेदन किया कि स्वर्गीय सहीराम पुत्र दलसुखराम के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वसीयतनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.04.30 20:41:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

दिनांक 19.03.2012 अनुसार अपना अपना हक हिस्सा स्वीकार कर हक व हिस्सा अनुसार भू–राजस्व अभिलेख में अंकन करवा देवें। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने दिनांक 11.06. 2023 को बमुकाम 3 आर.डब्ल्यु. एम. तहसील रावतसर में हक व हिस्सा घोषित करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया एवं प्रार्थी को धमकी दी कि वे कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर उक्त कृषि भूमि को अपने अकेलों के नाम दर्ज कृषि भूमि को जल्द ही दिगर व्यक्तियों को रहन बैय व मुन्तकिल करेगे। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित कृषि भूमि को वसीयतनामा दिनांक 19.03.2012 के अनुसार अपने अपने हिस्सा पर काबिज है तथा फसल काश्त कर रखी हैं। परन्तू अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा विधि विरूध रूप से कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर उक्त कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज करवाकर कृषि भूमि को रहन बैय कर दिया जाता हैं तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति कारित होगी एवम् प्रार्थी का हिस्सा समाप्त हो जायेगा। जिसकी भरपाई किसी प्रकार से संभव नहीं हैं। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य विधि विरूध व मनमाना हैं। इसलिए प्रार्थी माननीय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाकर उक्त कृषि भूमि को रहन बैय, मुन्तकिल करने से अप्रार्थीगण को रूकवा पाने का अधिकारी हैं। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व साम्य न्याय का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के सथ दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज फोटोप्रति वसीयतनामा दिनांक 19.03.2012, जमाबन्दी 3 आरडब्ल्यूएम बहक सहीराम, फोटोप्रति मृत्युप्रमाण पत्र सहीराम, फोटोप्रति बैयनामा बहक सहीराम पेश किये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये वकील श्री अशोक भादू, रविकुमार उपस्थित आकर दिनांक 03.04.2025 को जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अपने जबाब में अप्रार्थी ने लिखा कि "प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित अर्जीदावा श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है, जिसमें प्रार्थी के कामयाब होने की कोई उम्मीद नहीं है, जबकि अप्रार्थीगण के कामयाब होने की पुरी–पुरी उम्मीद है। मद संख्या 2, 3 स्वीकार है। मद संख्या 4 में वर्णित तथ्य कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता सहीराम पुत्र दलसुखराम के नाम से तहसील रावतसर के चक नम्बर 3 आर.डब्लू.एम. के खाता संख्या 116/105 के प0नं0 192/24 मु.नं0 49 के कि0नं0 16 ता 25 की 2.5300 है0 कमाण्ड कृषि भूमि होना तथा दिनांक 07.12.2020 को हमारे पिता का स्वर्गवास होना स्वीकार है। शेष तथ्य मनगढ़त होने से व जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थीगण के पिता की खरीदशुदा कृषि भूमि थी, जिस कारण अप्रार्थीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 20.10.2020 को अपनी उक्त स्वयं अर्जित कृषि भूमि की वसीयत अपनी स्वतन्त्र ईच्छा से अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पक्ष ब0 हिस्सा बराबर तहरीर करवा कर सक्षम अधिकारी उपपंजीयक रावतसर से पंजीकृत करवाया था तथा उसी अनुसार अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि काश्त करते आ रहे हैं तथा उक्त वसीयत अप्रार्थीगण के पिता की अन्तीम वसीयत है तथा प्रार्थी को पूर्व में ही धन सम्पति दे रखी थी तथा वह हमेशा से ही अपने परिवार सहित अलग निवास करता था। प्रार्थना–पत्र की मद

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.04.30 20:11:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

संख्या 5 मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता ने स्वतन्त्र ईच्छा एवं अपने विवेक से अपनी स्वयं अर्जित कृषि भूमि की वसीयत अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में तहरीर करवा दी थी, जो सक्षम अधिकारी द्वारा पंजीकृत है, जिस कारण उक्त वसीयत के कूटरचित होने का प्रश्न हीं पैदा नहीं होता है तथा उसी अनुसार आज भी अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ही उक्त कृषि भूमि को काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी को उक्त सभी तथ्यों की जानकारी होने के कारण प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना–पत्र व वाद–पत्र के अलावा कहीं भी वसीयत के आधार पर अपना नाम दर्ज करने हेतु आवेदन नहीं किया है, मात्र अप्रार्थीगण के पक्ष में पंजीकृत वसीयत के नामान्तरण को रूकवाने के लिए उक्त वाद–पत्र व प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये है, जिसका प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 6 अस्वीकार है। प्रार्थी अपने विवाह के पश्चात ही अपने परिवार सहित अलग निवास करने लग गया था तथा अप्रार्थीगण अपने पिता के साथ निवास करते थे तथा अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता ने अपनी स्वयं की आय से अपने पिता के नाम उक्त कृषि भूमि खरीद की थी तथा अप्रार्थीगण ही उक्त कृषि भूमि को ब हिस्सा बराबर काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी उसी अनुसार कब्जा काश्त में है, जिसके अनुसार ही अप्रार्थीगण के पिता ने अपनी स्वयं अर्जीत कृषि भूमि की अप्रार्थीगण के पक्ष में उपपंजीयक रावतसर से पंजीकृत वसीयत तहरीर करवाई है तथा अप्रार्थीगण ने सक्षम अधिकारी के समक्ष उक्त वसीयत के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में नामान्तरण दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रखा है। जिस कारण प्रार्थी किसी भी प्रकार की घोषणा करवा पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 7 अस्वीकार है। प्रार्थी अप्रार्थीगण से कभी नहीं मिला और ना ही अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई धमकी दी है। अप्रार्थीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में अपनी स्वतन्त्र ईच्छा से उपपंजीयक रावतसर से पंजीकृत वसीयत तहरीर करवा दी थी, जिसका कूटरचित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और ना ही उसके कूटरचित होने के सम्बन्ध में कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है। मात्र मनगढ़त तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना–पत्र व वाद–पत्र माननीय न्यायालय में अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के लिए प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 8 कतई अस्वीकार है। अप्रार्थीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित अपनी स्वयं अर्जीत कृषि भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में अपनी स्वतन्त्र ईच्छा से उपपंजीयक रावतसर से पंजीकृत वसीयत तहरीर करवा दी थी, जिसका कूटरचित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है तथा उसी अनुसार अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि को ब हिस्सा बराबर काश्त करते आ रहे है तथा आज भी अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है और प्रार्थी ने उक्त दस्तावेज के कूटरचित होने [illegible] में कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है, मात्र मन[illegible] अप्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरण रूकवाने के लिए तथा अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के लिए उक्त प्रार्थना–पत्र व वाद–पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इस कारण प्रार्थी को किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.04.30 20:11:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

प्रकार की अपूर्णीय क्षति नहीं हो रही है बल्कि अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित हो रही है, इस कारण प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 9 अस्वीकार है। अप्रार्थीगण के पिता अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण सजग व जागरूक व्यक्ति थे तथा उन्होने अपने जीवनकाल में ही अपनी खरीदशुदा स्वयं अर्जित उपरोक्त कृषि भूमि की वसीयत अप्रार्थीगण के पक्ष में करवा दी थी तथा कब्जा काश्त भी अप्रार्थीगण का करवा दिया था ताकि उनके स्वर्गवास के पश्चात किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं रहे। इसलिए प्रर्थम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है। वकील अप्रार्थीगण ने अपने जबाब के साथ दस्तावेजो की सूची मय दस्तावेज फोटोप्रति वसीयत दिनांक 20.10.2020, फोटोप्रति बैयनामा दिनांक 05.10.1988, बैयनामा दिनांक 10.10.1988 पेश किये।

वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता सहीराम पुत्र दलसुखराम के नाम से वादग्रस्त कृषि भूमि दर्ज चली आ रही हैं। प्रार्थी के पिता सहीराम ने अपने जीवनकाल में अपनी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में बहिस्सा बराबर का वसीयतनामा दिनांक 19.03.2012 को तहरीर करवाकर व उपपंजीयक रावतसर से पंजीकृत करवाया था। उसी अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 काबिज चले आ रहे है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास दिनांक 07.12.2020 को हो चुका हैं। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के पिता स्वर्गीय सहीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं। उक्त कृषि भूमि की वसीयत प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में स्वर्गीय सहीराम जी द्वारा निष्पादित की गई हैं तथा उसी अनुसार उक्त कृषि भूमि के अपने अपने हिस्सा पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 काबिज चले आ रहे है तथा फसल काश्त कर रखी हैं। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 लालची किस्म के व्यक्ति है जो उक्त कृषि भूमि को कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर उक्त कृषि भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल करने पर उतारू हैं। अगर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 द्वारा विधि विरूध रूप से कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर उक्त कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज करवाकर कृषि भूमि को रहन बैय कर दिया जाता हैं तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति कारित होगी एवम् प्रार्थी का हिस्सा समाप्त हो जायेगा। जिसकी भरपाई किसी प्रकार से संभव नहीं हैं। इसलिए प्रार्थी माननीय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाकर उक्त कृषि भूमि को रहन बैय, मुन्तकिल करने से अप्रार्थीगण को रूकवा पाने का अधिकारी है।

दूसरी तरफ वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जबा[illegible] को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता सहीराम पुत्र दलसुख[illegible] नाम से वादग्रस्त भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थीगण के पिता की खरीदशुदा कृषि भूमि थी, जिस कारण अप्रार्थीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में ही [illegible]नांक 20.10.2020 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.04.30 20:11:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

अपनी उक्त स्वयं अर्जित कृषि भूमि की वसीयत अपनी स्वतन्त्र ईच्छा से अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पक्ष ब हिस्सा बराबर तहरीर करवा कर सक्षम अधिकारी उपपंजीयक रावतसर से पंजीकृत करवाया था तथा उसी अनुसार अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि काश्त करते आ रहे है तथा उक्त वसीयत अप्रार्थीगण के पिता की अन्तिम वसीयत है तथा प्रार्थी को पूर्व में ही धन सम्पति दे रखी थी तथा वह हमेशा से ही अपने परिवार सहित अलग निवास करता था। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पिता ने स्वतन्त्र ईच्छा एवं अपने विवेक से अपनी स्वयं अर्जित कृषि भूमि की वसीयत अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में तहरीर करवा दी थी, जो सक्षम अधिकारी द्वारा पंजीकृत है, जिस कारण उक्त वसीयत के कूटरचित होने का प्रश्न हीं पैदा नहीं होता है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व वकुलाए फरिकैन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता सहीराम पुत्र दलसुखराम के नाम की खातेदारी भूमि थी। वाद भूमि सहीराम की स्वयं की खरीदशुदा कृषि भूमि थी जो सहीराम की स्वअर्जित भूमि थी। सहीराम ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 19.03. 2012 को निष्पादित करवाई थी तथा सहीराम ने एक वसीयत दिनांक 20.10.2020 को अप्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित करवाई थी। इस प्रकार अप्रार्थीगण के पक्ष में करवाई गई वसीयत दिनांक 20.10.2020 सहीराम पुत्र दलसुखराम की अन्तिम वसीयत थी जिसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला, साम्य न्याय का सिद्धान्त व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2023 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा "अप्रार्थीगण चक 3 आरडब्ल्यूएम के प.नं. 192/24(49) कि.नं. 16 ता 25 की 2.530 है. भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।" खारिज की जाती है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास आज दिनांक 30.4.2025 को सुनाया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.04.30 20:11:40 IST
Reason: SelfAttested